

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या / 2024

गण-

1. सबीर अहमद पुत्र सतारबक्स
2. कालू मोहम्मद पुत्र सतारबक्स
3. हसन मोहम्मद पुत्र सतारबक्स
4. मुस्ताक अहमद पुत्र सतारबक्स
5. बाबुदीन पुत्र सतारबक्स
6. मो.युसुफ पुत्र सतारबक्स

जातियान-लीलघर मुसलमान निवासीगण-खाटूबड़ी तहसील जायल, जिला-नागौर।

बनाम

तिवादीगण -

1. मुन्नी पुत्री सतारबक्स जाति लीलघर मुसलमान निवासी-खाटूबड़ी तहसील-जायल,
जिला-नागौर।
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :-


1. श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुर्यप्रकाश सिंवर
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुर्यप्रकाश सिंवर प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा खाटुकलां सम्बत् 2073-2076 के खाता संख्या 500 एवं मौजा खियावास के खाता संख्या 500 की भूमि के मुतदाविया खेतायों में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सहखातेदार घोषित किया जाकर पक्षकारान् के मध्य बंटवाड़ा माफिक वाद पत्र राजीनामा अनुसार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 सबीर अहमद के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खाटुकलां का खेत खसरा नंबर 726 रकबा 1.6673 हैक्टेयर में से 0.8337 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 कालू मोहम्मद के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खाटुकलां का खेत खसरा नंबर 726 रकबा 1.6673 हैक्टेयर में से 0.8336 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

3. वादी संख्या 3 मोहम्मद हसन के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयावास का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 2.7276 हैक्टेयर में से 0.8337 हैक्टेयर माफिक नजरीनवशानुसार रखा गया है।
 4. वादी संख्या 4 मुस्ताक के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयावास का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 2.7276 हैक्टेयर में से 0.8337 हैक्टेयर माफिक नजरीनवशानुसार रखा गया है।
 5. वादी संख्या 5 बाबुदीन के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयावास का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 2.7276 हैक्टेयर में से 0.8337 हैक्टेयर माफिक नजरीनवशानुसार रखा गया है।
 6. वादी संख्या 6 मो. युसुफ के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा खिंयावास का खेत खसरा नंबर 825 रकबा 2.7276 हैक्टेयर में से 0.2265 हैक्टेयर माफिक नजरीनवशानुसार एवं खेत खसरा नंबर 822 रकबा 0.5989 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
 7. प्रतिवादी संख्या 1 के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखे जाने से मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 1 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्य जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
 8. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)
 9. नजरीनवशा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
- निर्णय आज दिनांक 23/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जिला न्यायालय-(नागौर)

